

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी:- श्री अजित सिंह राठौड (आर0ए0एस0)

उनवान

1. लादू लाल पुत्र श्री मोहन लाल महाजन नि0 आमली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

—वादी

बनाम

1. भंवर लाल पुत्र श्री मोहन लाल महाजन नि0 आमली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)

—प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा-53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत विभाजन आराजियात मुकदमा नम्बर :-21/2022

उपस्थित अधिवक्ता:- वादी अधिवक्ता प्रवीण चोरडीया उप0
प्रतिवादी अधिवक्ता अमित कोठारी उप0
पैराकार सरकार उप0

दिनांक- 02.02.2023

वादी व प्रतिवादी की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 02.02.2023 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर राजीनामा अनुसार वादपत्र में विभाजन की डिक्री बहक वादी व प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती हैं कि ग्राम आमली पटवार हल्का बरडौद भू0अ0नि0 क्षेत्र बरडौद तह0 हमीरगढ की आराजियात बंटवारा सूची अनुसार -

1. लादूलाल पुत्र श्री मोहन लाल महाजन नि0 आमली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा देह खातेदार

आ0न0	रकबा
765	0.2782है0
766	3.3130है0
767	0.5564है0
768	0.0506है0
769	01.1002है0
कुल 5	रकबा 5-2984है0

2. भंवर लाल पुत्र श्री मोहन लाल महाजन नि0 आमली तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज) देह खातेदार

आ0न0	रकबा
499	0.3667है0
500	0.3794है0
501	0.0379है0
502	0.4299है0
503	0.3414है0
504	1.1633
कुल किता 6	रकबा 2-7186है0

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)



उक्तानुसार भूमि वादी व प्रतिवादीगण के मध्य क्रम संख्या 1 से 2 अनुसार रहेगा। पक्षकारान अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करें। डिक्री प्रति पालनार्थ तहसीलदार हमीरगढ को प्रेषित हो।

आज दिनांक 02.02.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।



उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर हमीरगढ
हमीरगढ (सि.ज.)